न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव** (आई0ए0एस0)

वाद सं0 : 553 सन 2018

अनवान :–

1. जगतारसिह पुत्र भगवानसिह जाति जटसिख निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा अध्यक्ष कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई वार्ड नम्बर 20 कस्बा नोहर तहसील नोहर नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ज्ञानसिह पुत्र जागरसिह जाति कम्बोज निवासी नोहर तहसील नोहर उपाध्यक्ष कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई वार्ड नम्बर 20 कस्बा नोहर तहसील नोहर नोहर जिला हनुमानगढ
3. नरेन्द्रसिह पुत्र साधूसिह जाति कम्बोज निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा सचिव कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई वार्ड नम्बर 20 कस्बा नोहर तहसील नोहर नोहर जिला हनुमानगढ
4. गुरमुखसिह पुत्र हरनेकसिह जाति जटसिख निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ संयुक्त सचिव कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई वार्ड नम्बर 20 कस्बा नोहर तहसील नोहर नोहर जिला हनुमानगढ
5. अमरजीतसिह सेठी पुत्र. महेन्द्रसिह जाति सेठी साकिन नोहर तहसील नोहर कोषाध्यक्ष कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई वार्ड नम्बर 20 कस्बा नोहर तहसील नोहर नोहर जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री विजय कडवासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/09/25

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89,92 क के तहत इस आश्य का पेश किया गया की वादीगण संख्या 1 ता 5 कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई वार्उ नम्बर 20 कस्बा नोहर के क्रमश : अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , सचिव , महासचिव , कोषाध्यक्ष है तथा वादीगण नम्बर 1 ता 5 का हित कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई वार्ड नम्बर 20 कस्बा नोहर के खिलाफ नही है तथा सिख समाज की तरफ से इन्हे कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई के ट्रस्टी नियुक्त किये गये है।

कार सेवा गरूद्वारा शीन तलाई नोहर के पूर्व में बाबा प्रतीमसिह जथेदार कार सेवा थे तथा वे जीवन पर्यन्त ग्रहस्थी जीवन को त्याग कर गुरूद्वारा की कार सेवा व साध संगत की सेवा में लगे रहे तथा गुरूद्वारा की चल व अचल सम्पति की देखभाल करते रहे तथा कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई कस्बा नोहर की कार सेवा व साध संगत की सेवा के लिए व लंगर लगाने के लिए व कार सेवा के लि[illegible] वाले व ठहरने के लिये कार सेवा शील तलाई कस्बा नोहर की तरफ [illegible] भूमि से चिपती हुई कृषि भूमि खसरा न0 197 1.0620हैक बाबा प्रतीमसिह [illegible] कार सेवा के नाम से जरिये रजिस्ट्री उपपंजीयक नोहर में दिनांक 04.03.1976 को [illegible]वाई हुई भूमि है उस[illegible] सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई कस्बा नोहर बना हुआ है तथा इस गरूद्वारा में समस्त भारत देश के सिख

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:52:41 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

समाज के जत्थेदार व सिख समाज में आस्था रखने वाले कार सेवक आकर रहते है तथा कार सेवा करते है तथा लंगर का भोग प्राप्त करते है।

बाबा प्रीतमसिह जथेदार कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई कस्बा नोहर के वृद्व होने पर अपने जीवनकाल में ही दिनांक 05.10.2006 को अवतालनामा वसीयतनामा जीतसिह उर्फ अजीतसिह पुत्र खाजनसिह निवासी डेराबाबा बधेल सिह नजदीक गुरूद्वारासिह रानिया सेठ सिरसा के पक्ष में करवा दी थी तथा उक्त वसीयतनामा के अनुसार वसीयतकर्ता की मरणोपरान्त समस्त चल अचल सम्पति इसी कार सेवा कार्य में ही जीतसिह उर्फ अजीतसिह इस्तेमाल करेगा तथा स्वय भी गुरूद्वारा की कारसेवा वा साध संगत की सेवा मे लगा रहेगा

बाबा प्रतीतसिह जथेदार कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई कस्बा नोहर के दिनांक 02. 01.2012 को मृत्यू होने के पश्चात उसकी वसीयत दिनांक 05.10.2006 के आधार पर वसीयतकर्ता की जगह वसीयतग्रहिता जीत उर्फ अजीतसिह पुत्र खजानसिह की तरफ से वसीयतकर्ता की अचल सम्पति उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा न0 197 की 1.0625हैक्‍ अर्थात 5.03 बीधा रोही मौजा कस्बा नोहर का नामान्तकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया मगर वसीयतग्रहिता जीत उर्फ अजीत की भी दिनांक 11. 06.2023 को मृत्यू हो गई जिससे इस वसीयत का उददेश्य ही निष्फल होने से वादीगण की तरफ से उक्त वादग्रस्त भूमि कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई कस्बा नोहर वार्ड न0 20 की तरफ से आम सहमति से सिख समाज की तरफ से व सिख धर्म में आस्था रखने वाले की तरफ से आम सहमति से सिख समाज की तरफ से वादीगण को कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया गया जिनकी हैसियत ट्रस्टी की है तथा बाबा प्रीतमसिह जथेदार कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई कस्बा नोहर व साध संगत की निस्वार्थ सेवा कार्य के लिए वादग्रस्त भूमि कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई कस्बा नोहर के नाम राजस्व रिकार्ड में की जानी धार्मिक उददेश्यो की पूर्ति हेतु कार सेवा व साध संगत के लिये इन्साफन आवश्यक है इसलिये रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 39/35 के खसरा न0 197 की 1. 0620हैक्‍ का खातेदार काश्तकार कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई कस्बा नोहर को वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 39/35 के खसरा न0 197 की 1.0620हैक्‍ भूमि में से मृतक प्रीतमसिह जथेदार कार सेवा नोहर खातेदार का नाम कलमजन किया जाकर उक्त वादभूमि कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई कस्बा नोहर के नाम खातेदार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर वादीगण के वाद में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की बाबा प्रीतमसिह ने दिनांक 05.10.2006 को रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 39/35 के खसरा न0 197 की 1.0620हैक्‍ भूमि की वसीयत जीत उर्फ अजीतसिह पुत्र खजानसिह के पक्ष मे करवाई गई थी तथा उक्त वसीयत के उजागर होने से पहले ही जीतसिह उर्फ अजीतसिह लावारिस फोत हो गया इस प्रकार उक्त भूमि पर Eschets Act 1956 के तहत आगामी कार्यवाही करते हुए अराजीराज घोषित किया जावे एव राज्य हित को मध्यनजर रखते हुए नियमानुसार निर्णय फरमावे।

पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादीगण से साक्ष्य लिये गये वादीगण ने अपने साक्ष्य में वादीगण ने अपने शपथ पत्र पेश किये जाने के उपरान्त उभयपक्षो की बहस सुनी गई

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्र[illegible] अवलोकन किया वादीगण ने यह वाद सिख समाज की तरफ से प्र[illegible]माज के ट्रस्टी है वादीगण ने वाद पेश कर बाबा प्रीत[illegible]सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई कस्बा नोहर तहसील नोहर ने अपने जीवनकाल में जीत [illegible] अजीत पुत्र खजानसिह के पक्ष में दिनांक 05.10.2006 को वसीयत निष्पादित करवाई गई थी प्रीतमसिह का देहान्त होने के बाद वसीयत की क्रियान्वती होने के पूर्व ही वसीयतग्रहिता जीत उर्फ अजीत पुत्र खजानसिह का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:52:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

भी दिनांक 11.06.2023 को देहान्त हो गया जिसके कारण सिख समाज की तरफ से वादीगण ने ट्रस्टी की हैसियत से वाद पेश कर रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 39/35 के खसरा न0 197 की 1.0620हैक भूमि कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई कस्बा नोहर के नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया है

रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 39/35 के खसरा न0 197 की 1.0620हैक की भूमि बाबा प्रीतमसिह को जरिये बेयनामा प्राप्त हुई थी जो प्रस्तुत नामान्तकरण से साबित है बाबा प्रीतमसिह ने अपने जीवनकाल में उक्त वाद भूमि की वसीयत जीत उर्फ अजीत पुत्र खजानसिह के पक्ष में करवाई गई थी बाबा प्रीतमसिह का दिनांक 02.01.2012 को देहान्त हो गया एव बाबा प्रीतमसिह की वसीयत दिनांक 05.10.2006 के उजागर होने से पूर्व ही वसीयतग्रहिता जीत उर्फ अजीतसिह पुत्र खजानसिह का भी दिनांक 11.06.2023 को हो गया जिसके सम्बध में वादी स्वय का कथन है इसप्रकार बाबा प्रीतमसिह की वसीयत उजागर होने से पूर्व ही वसीयतग्रहिता का जीत उर्फ अजीतसिह का देहान्त होने से वसीयत निष्प्रभावी हो गई और वसीयत में अंकित सम्पति लावारिस हो गई

वादीगण ने वाद भूमि जो वर्तमान में लावारिस हो गई जिसका कोई भी वारिस नही है जिसे वादीगण भी स्वीकार करते है को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पाने के अधिकारी नही है।

रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 39/35 के खसरा न0 197 की 1.0620हैक की भूमि बाबा प्रीतमसिह के नाम दर्ज थी जिसके देहान्त होने एव जिसके पक्ष में वसीयत करवाई गई के लावल्द देहान्त होने के कारण राजकीय हको को सुरक्षित रखने के लिये तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि सक्षम न्यायालय में उक्त वाद भूमि के सम्बध में Eschets Act 1956 के तहत आगामी कार्यवाही करते हुए अराजीराज घोषित करवाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 39/35 के खसरा न0 197 की 1.0620हैक की भूमि बाबा प्रीतमसिह के नाम दर्ज थी जिसके देहान्त होने एव जिसके पक्ष में वसीयत करवाई गई के लावल्द देहान्त होने के कारण वाद भूमि लावारिस हो चुकी है एवं वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत लावारिस भूमि के सम्बध में कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबुतो के आधार पर खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि सक्षम न्यायालय में उक्त वाद भूमि के सम्बध में Eschets Act 1956 के तहत आगामी कार्यवाही करते हुए अराजीराज घोषित करवाने की कार्यवाही करे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/09/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव IAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:52:41 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जगतारसिह पुत्र भगवानसिह जाति जटसिख निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा अध्यक्ष कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई वार्ड नम्बर 20 कस्बा नोहर तहसील नोहर नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ज्ञानसिह पुत्र जागरसिह जाति कम्बोज निवासी नोहर तहसील नोहर उपाध्यक्ष कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई वार्ड नम्बर 20 कस्बा नोहर तहसील नोहर नोहर जिला हनुमानगढ
3. नरेन्द्रसिह पुत्र साधूसिह जाति कम्बोज निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा सचिव कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई वार्ड नम्बर 20 कस्बा नोहर तहसील नोहर नोहर जिला हनुमानगढ
4. गुरमुखसिह पुत्र हरनेकसिह जाति जटसिख निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ संयुक्त सचिव कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई वार्ड नम्बर 20 कस्बा नोहर तहसील नोहर नोहर जिला हनुमानगढ
5. अमरजीतसिह सेठी पुत्र. महेन्द्रसिह जाति सेठी साकिन नोहर तहसील नोहर कोषाध्यक्ष कार सेवा गुरूद्वारा शीन तलाई वार्ड नम्बर 20 कस्बा नोहर तहसील नोहर नोहर जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 163 सन 2014 निर्णय दिनांक– 25/09/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि सक्षम न्यायालय में उक्त वाद भूमि के सम्बध में Eschets Act 1956 के तहत आगामी कार्यवाही करते हुए अराजीराज घोषित करवाने की कार्यवाही करे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/09/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:52:41 IST
Reason: SelfAttested